भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. JD/28/2016/MHRD1/SEOTH/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 18.09.2017

To,

The Director,
National Institute of Technology Rourekla,
Odisha

Sub: Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice- Chairperson, NCST on 04.07.2017 in the matter of representation dated 09.08.2016 of Shri Jogiya Dhanwar, Asst. (SG-I), Dept. of Industrial Design, NIT, Rourkela-8, Odisha regarding harassment by Senior officer.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, NCST, on 04.07.2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to the Commission immediately.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy to:

1.Shri Jogiya Dhanwar,
Asst. (SG-I), Ec No. 4900578,
Dept. of Industrial Design, NIT,
Rourkela-769008,
Odisha

2.NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

जे.डी/28/2016/एम एच आर डी./एस.ई.ओ.टी.एच/ आर यू.3

विषयः– श्री जोगिया धनवार से प्राप्त अभिवेदन दिनांक 9.8.2016 के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बावत।

माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 4.7.2017 को 3:00 बजे निदेशक राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी) ओडिशाा के साथ श्री जोगिया धनवार के मामले में हुई बैठक का कार्यवृतः

बैठक की तिथि : 04.07.2017

बैठक में शामिल हुए अधिकारियों की सूची : पृष्ठ क पर है

श्री जोगिया धनवार द्वारा प्राप्त अभिवेदन दिनांक 9.8.2016 जिसमें उन्होंने उच्च अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न बावत आयोग को सूचित किया कि उसे एन.आई.टी राऊरकेला के अधिकारियों द्वारा नाजायज तंग किया जा रहा है।

आयोग ने श्री जोगिया धनवार के प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली तथा निदेशक राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान राऊरकेला, ओडिसा को दिनांक 21.9.2016 को नोटिस भेजा कि इस मामले में की गई कार्यवाही कि रिपोर्ट 15 दिन के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान राऊरकेला से नोटिस के संदर्भ में दिनांक 20.10.2016 को जवाब आयोग में प्राप्त हुआ और उसके ऊपर अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे संबंधी भुगतान हेतु दिए गए बिलों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया जिसके एक प्रति श्री जोगिया धनवार को 6.12.2016 को सूचनार्थ भेजी गई। श्री जोगिया धनवार ने राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान के जवाब से अपनी असहमति जताते हुए दिनांक 5.11.2016 को दोबारा से प्रतिवेदन भेजा। जिसे राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान राऊरकेला को उचित कार्यवाही के लिए दिनांक 18.1.2017 को भेजा गया। राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान राऊरकेला ने दिनांक 24.4.2017 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचित किया कि श्री जोगिया धनवार ने जो बिल भुगतान के लिए जो राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान में दिए थे उन बिलों में जानबूझकर Tempring की है। इस मामले में बिलों की जांच करने के लिए विभाग ने कमेटी गठित की है और कमेटी के सुझाव पर ही श्री जोगिया धनवार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

इस संदर्भ में जोगिया धनवार ने दिनांक 6.6.2017 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया से भेंट की और अपनी परेशानी उन्हें बताई। उपाध्यक्षा महोदया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4.7.2017 को निदेशक राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान राऊरकेला के साथ सिटिंग निश्चित की। सिटिंग नोटिस दिनांक 21.6.2017 को निदेशक राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान राऊरकेला को भेजा गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्री जोगिया धनवार की अपनी कोई ओलाद नहीं है इसलिए उन्होंने दो बच्चे (लड़के) अपने समुदाय से गोद लिए जिनको अपने परिवार में शामिल करने हेतु Adoption Deed न. 914, दिनांक 6.5.2009 तथा 1190, दिनांक 11.6.2009 तक रजिस्ट्रार कार्यालय उधित नगर, राऊरकेला में जमा करवाई।

श्री जोगिया धनवार ने दो प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (NIT) रूडकेला जहां पर नौकरी करते है दिए कि इन दोनों बच्चों को मेरे पारिवारिक सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की जबकि दूसरे बच्चे को मान्यता प्रदान नहीं की गई प्रार्थी द्वारा Jwenile Act 2000 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी विभाग में देने के पश्चात NIT, राऊरकेला ने 7 साल के बाद दिनांक 24.2. 2016 में दूसरे बच्चे को पारिवारिक सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की। इस संदर्भ में आयोग ने (NIT) राऊरकेला के प्रतिनिधि से जानना चाहा उन्होंने आयोग को बताया की इस बारे में विभाग को जानकारी नहीं थी जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है।

श्री जोगिया धनवार ने कुछ बिल दूसरे बच्चे की पढ़ाई के ऊपर हुए खर्चे (वर्दि इत्यादि) के भुगतान के लिए दिए जिसे विभाग ने यह मानकर की बिल फर्जी है और बिलों की राशि को टेम्परिंग किया गया है। प्रार्थी को भुगतान नहीं किया गया तथा मामले को आपराधिक प्रवृती का मानकर एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने प्रार्थी का पक्ष जाने बगैर ही अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। जिसके उपर विभागीय कार्यवाही करते हुए श्री जोगिया धनवार को चार्जशीट दे दी गई।

आयोग ने इस बारे में जब उप रजिस्ट्रार से जानना चाहा तो उन्होंने कुछ बिल आयोग के सामने प्रस्तुत किए जिनके ऊपर टेम्परिंग हुई थी और फर्जी माने थे। इन बिलों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद यह पाया कि यह बिल दुकानदार ने ही काटे है और यह सुझाव दिया कि अगर विभाग चाहता तो श्री जोगिया धनवार से इस बारे में पूछ सकता था जो नहीं किया गया और उसको चार्जशीट दे दी गई

श्री जोगिया धनवार ने आयोग को यह बताया कि जो बिल उसने भुगताने के लिए दिए थे वह स्वीकृत कर लिए गए थे परंतु बाद में उनको फर्जी मान कर दोबारा से जांच करने के लिए रोक लिया गया इस पर आयोग ने उप रजिस्ट्रार से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने निदेशक (NIT) की एक टिप्पणी आयोग को दिखाई कि यह उनके निर्देश पर हुआ है। इस टिप्पणी की एक प्रति आयोग में जमा करवाई गई जिससे यह प्रतीत होता है कि टिप्पणी का अंतिम नोट 31.5.2016 को निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया है। जिसको पिछले पृष्ठ पर बाद में जोड़ा गया जो नियम विरूद्व है क्योंकि निदेशक ने यह लिखा है कि कृप्या नोट करें कि मैं इस स्पेस को इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि इस वक्त में अगले पेज में adding करने की स्थिति में नहीं हूँ और टिप्पणी पर दिनांक 30.6.2016 को हस्ताक्षर किये जो नियम विरूद्व है। इस मामले को आयोग ने गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया कि यह एक अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के ऊपर उत्पीड़न/अत्याचार हुआ है और उसे जानबूझकर तंग किया गया है। इसमें जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए हैं उनके विरूद्व विभाग ने क्या कार्यवाही की।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

जे.डी/28/2016/एम एच आर डी./एस.ई.ओ.टी.एच/ आर यू.3

श्री जोगिया धनवार के मामले में हुई बैठक दिनांक 4.7.2017 को 3:00 उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.सुश्री अनुसुईया उईके – अध्यक्ष
माननीय उपाध्यक्ष
2.के.डी. बंसौर श्रीमती – निदेशक
3.श्री डी.डी कटोच – कन्सलटेन्ट

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रूडकेला

1. श्री वामदेव आर्चाया, उप रजिस्ट्रार

प्रार्थी

1. श्री जोगिया धनवार